संख्या-39/2018/1469/क0नि0प्र0/26-3-2018-13(61)/2013

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 10 दिसम्बर, 2018
समाज कल्याण विभाग

विषयः अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2018-19

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के द्वारा अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ कौशल विकास के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु रू0 5,00,00,000/-(रू0 पांच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा आहरित कर मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि केवल अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत ही नियमानुसार व्यय की जायेगी। मिशन निदेशक द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/उपभोग की सूचना यथा समय कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि का प्रर्दशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अतः ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय। धनरशि के व्यय की कार्यवाही योजना के अनुरूप सुनिश्चित की जाय।
3. वर्तमान वित्तीय वर्ष में जितनी धनराशि की आवश्यकता वास्तविक रूप से हो, उतने का ही आहरण राजकोष से किया जाय। धनराशि आहरित करके बैंक/पीएल0ए0 में कदापि न रखी जाय।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण -01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0105-अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

<u>पृ0संख्या-39/2018/1469(1)/क.नि.प्र./26-3-2018 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।

5- मिशन निदेशक,कौशल विकास मिशन,अलीगंज,लखनऊ।

6- वित्त (वित्त नियन्त्रण)अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। उ0प्र0 शासन।

7- एन0आई0सी0 की प्रति ।

8- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण,उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।